

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 3-33 / 2015 / 38-1
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक /06/ 2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।



विषय :-

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2015-16 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि बाबत।

संदर्भ :-

आपकी टीप कमांक 211/आउशि/बजट/2014, दिनांक 4/02/2015

--0--

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2015-16 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ.राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर	एम.एस.सी. गणित	5
2	शास0 काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर	बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	10
3	शासकीय राजीवलोचन महाविद्यालय राजिम	बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	10
4	शासकीय महाविद्यालय सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा	बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
5	शास0 बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	20
6	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद जिला धमतरी	बी.कॉम प्रथम वर्ष	10
		शारीरिक शिक्षा	10
7	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग	बी.एस.सी. इलेक्ट्रानिक्स	10
		एम.एस.सी. रसायन	5
		एम.एस.सी.भौतिकी	5
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	5
		एम.एस.सी. वनस्पति	5
8	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3	पी.जी.डी.सी.ए.	10

मुद्रांकित
06/07/15

43	शासकीय राजीव गांधी पी.जी. महाविद्यालय अम्बिकापुर	एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र	5
		एम.एस.सी. गणित	5

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी :-

1. प्राचार्य के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि बढ़ी हुई सीट संख्या अनुसार कक्षा में छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था हो तथा प्रयोगशाला में समानुपातिक रूप से संसाधन उपलब्ध हो । यदि कक्षा में बैठने की व्यवस्था नहीं है या अन्य संसाधन नहीं है तो सीट वृद्धि को समर्पित किया जायेगा ।
2. बढ़ी हुई सीट में प्रवेश के फलस्वरूप अतिरिक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद की मांग नहीं की जावेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन प्रभावित ना हो तथा इसके फलस्वरूप किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो ।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन

उच्च शिक्षा विभाग
02/07/2015

रायपुर, दिनांक 06/2015

पृष्ठांकमांक एफ 3-33/2015/38-1

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की
3. संबंधित कलेक्टर जिला.....
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. संबंधित जिला कोषालय छ0ग0,
6. संबंधित प्राचार्य, शा.स.सी. पी.जी. स्नातकोत्तर, छ0ग0 अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आदेश फोल्डर।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

कमांक एफ 3-27/2019/38-1

अटल नगर, दिनांक /08/2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर,
रायपुर



विषय:-

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिये प्रवेश मार्ग-दर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के संबंध में स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र कमांक 60/8/आउशि/योजना/19 दिनांक 27.7.2019

राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है:-

क	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	वर्तमान सीट	प्रस्तावित सीट	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1	2	3	5	6	7
1	शास. डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महावि. मुंगेली	बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	40	20	60
		बी.एस.सी. (जीव विज्ञान) प्रथम वर्ष	60	40	100
2	शास. वीरांगना अवती बाई लोधी महा., पथरिया, जिला- मुंगेली	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	40	40	80
3	शास. महा., नवागढ़, जिला- जाजगीर-चांपा	बी.ए. प्रथम वर्ष	60	60	120
		बी.एस.सी. (जीव विज्ञान) प्रथम वर्ष	60	60	120
4	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा., धरसीवा, रायपुर	बी. कॉम प्रथम वर्ष	50	30	80
5	शास. बी.सी.एस. पी.जी. महा., धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	270	30	300
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	100	20	120
		बी.एस.सी. (जीव विज्ञान) प्रथम वर्ष	180	70	250
		बी.एस.सी. (आई.टी.) प्रथम वर्ष	60	20	80
		एस.एस.सी. (रसायनशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर	20	10	30
		एम.एस.सी. (गणित) प्रथम सेमेस्टर	30	10	40
		एम. कॉम प्रथम सेमेस्टर	40	10	50
6	शास. सुखराम नागे महा., नगरी, जिला- धमतरी	बी.ए. भूगोल	30	30	60

Registration
file में रखे
17.08.19

(नाईल)

//2//

7	शास. रानी अवन्ती बाई लोधी महा., घुमका, जिला- राजनांदगांव	बी.ए. प्रथम वर्ष बी.एस.सी. (जीव विज्ञान) प्रथम वर्ष	160 60	20 20	180 80
8	शास. बिलासा कन्या पी.जी. महा., बिलासपुर	गृहविज्ञान (बी.एस.सी.सी.एन.) स्ववित्तीय मुद	60	80	140

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी:-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था को अपने स्वयं के स्त्रोंतो से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि जारी दिनांक से प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. समरेन्द्र सिंह)
उप सचिव

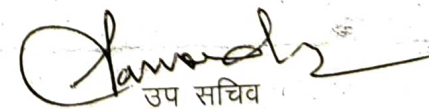
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-27/2019/38-1

नया रायपुर, दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपि :-

- 01) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
- 02) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
- 03) संबंधित कलेक्टर, जिला -
- 04) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 05) संबंधित प्राचार्य शास. रानी अवन्ती बाई लोधी महा. घुमका
- 06) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 07) आदेश फोल्डर।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग